

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-33/ले.टे./1142/2019/ 282 दिनांक : 30/4/19

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एव 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि स पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीजी स्वीकृत की जाती है-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	एदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1	श्री ओमप्रकाश जांगिड, लै.टे	पमुख चिकित्सा अधिकारी, बाडमेर	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
2	श्री नमन कुमार, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नदबई (भरतपुर)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
3	श्रीमती कल्पना सिंह, लै.टे	सिटी डिस्पेंसरी अटलबन्ध (भरतपुर)	21.05.2009	21.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
4	श्री रामावतार शर्मा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फागी (जयपुर-द्वितीय)	01.03.2009	01.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
5	श्री राजेन्द्र कुमार नागर, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खानपुर (झालावाड)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
6	श्री हरिनारायण, मीणा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनियारा (टोक)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
7	श्री हनुमान प्रसाद सैनी, लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बादीकुई (दौसा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
8	श्री विनोद कुमार शर्मा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बादीकुई (दौसा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
9.	श्री राजेन्द्रप्रसाद मीणा, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बादीकुई (दौसा)	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

10	श्री तेजप्रकाश शर्मा, लै.टे	खण्ड मुख् चिकित्सा अधिकारी बांदा मुई (लौसा)	02 03 2009	02 03 2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
11.	श्री श्याम सुन्दर गोयल, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सुन्डुनू	02 03.2009 म.प.	03 03 2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
12	सुनिता मीणा, लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सुन्डुनू	21 05 2009	21 05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

ह
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे / 1142/2018/ 282

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय का मैजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर